



Neutral Citation Number– 2026:AHC:65436

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या-8407/2026

भूपेंद्र

.....आवेदक/आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी/विपक्षीगण

आवेदक/आवेदकगण के अधिवक्ता

: अनीता सिंह, कुमारी पूनम राजपूत, निर्मला

कुमारी, प्रेम बाबू वर्मा

विपक्षी/विपक्षीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्याय कक्ष संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. सुश्री सारिका सिंह को सुना गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उमा शंकर मिश्रा, राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-483 के तहत यह वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक भूपेंद्र की ओर से दायर की गई है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि उन्हें वाद अपराध संख्या - 114/2021 में, जो

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पुलिस थाना-अछनेरा, जिला-आगरा में आई.पी.सी. की धारा-147, 148, 149, 307, 323, 504, 506 और आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा-7 के तहत पंजीकृत है, विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक को इस न्यायालय द्वारा पुलिस रिपोर्ट जमा होने तक अग्रिम जमानत दी गई थी, और उसके बाद उसने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, तथा उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, व्यक्तियों के दो समूहों के बीच आपस में लड़ाई होने की बात कही गई है; हालाँकि, आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है, और चार अन्य आरोपियों को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदक, जो दिनांक 28.1.2026 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है।

5. इस न्यायालय द्वारा आवेदक को पुलिस रिपोर्ट जमा होने तक अग्रिम जमानत दी गई थी, और उसके बाद उसने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जहाँ उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। आगे यह भी निवेदन किया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, व्यक्तियों के दो समूहों के बीच आपस में लड़ाई होने की बात कही गई है; हालाँकि, आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है, और इस न्यायालय द्वारा चार अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदक दिनांक 28.1.2026 से जेल में बंद है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति और अभिलेख से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

7. उपर्युक्त आपराधिक मामले में शामिल आवेदक **भूपेंद्र** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें धमकाएगा नहीं।

(iii) आवेदक, विचारण न्यायालय के समक्ष उन तारीखों पर स्वयं उपस्थित रहेगा जो (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय किए जाने, और (iii) बी.एन.एन.एस. की धारा-351 के तहत बयान दर्ज किए जाने के लिए निर्धारित की गई हैं।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक तय तारीख को विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहेगा।

8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निपटारे तक ही सीमित है, और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय, इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

26 मार्च, 2026

कुमार मनीष

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”